(c) No, Sir.

(d) Separate statistics about the quantum of import of metalised polyester film are not readily available.

(e) M|s. Garware Plastics and Polyster Private Limited have been allowed Expansion in their capacity for the manufacture of polyster film, Expansion in the capacity of metalising in the case of M/s. Garware Plastics and M/s. Rexor India Limited has also been approved. Three other units have been approved for manufacture of metalised polyster film along with other metalised products.

ट्रस्ट के लिये आचरण संहिता

6608. श्री राम सिंह शाक्य : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-2 में गणदेवी पुलिस स्टेशन के सामने स्थित दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट पर कम्पनी अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं यदि हां, तो इस न्यास पर कौन कौन से कानून और से नियम लागू होते हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने न्यसों के लिए कोई आचरण-संहिता बना रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या न्यासों पर कम्पनी अधिनियम भी लागू होता है और यदि हां, तो बम्बई में ऐसे कितने न्यास हैं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है ; और

(ग) क्या इन न्यासों में, जिनका लाभ न्यासी उठा रहे हैं, अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है और यदि हां, तो न्यासियों द्वारा इन नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1. दामोदर जीवराज, हेमराज ट्रस्ट ने लोक न्यासी के पास कोई घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या यह न्यास कम्पनी-अधिनियम के उपबंधों को आकर्षित करता है, अथवा नहीं। प्रश्न में दिये गये पते पर की गई जांचों से पता चला कि उक्त पते पर ऐसा कोई न्यास विद्यमान नहीं है। न्यासों के लिये कोई आचरण-संहिता नहीं है ।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 153-ख के अन्तर्गत, जहां किसी व्यक्ति (न्यासी) द्वारा किसी कम्पनी के कोई हिस्से अथवा ऋण-पत्र, उसमें विहित सीमाओं से अधिक की मात्रा में न्यास में धृत किये जाते हैं, तथा जहां न्यास लिखित संलेख द्वारा सृजित हो, वहां न्यासियों को "लोक न्यासी" को इस आशय की घोषणा करनी चाहिये । कम्पनी अधिनियम की धारा 187 ख में भी प्रावधान है कि इस प्रकार के मामलों में, कम्पनी की किसी बैठक में, कम्पनी के सदस्य के रूप में न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार एवं शक्तियां (जिनके अन्तर्गत परोक्षी द्वारा मत देने का अधिकार भी आता है) न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य न रह कर, लोक न्यासी द्वारा प्रयोक्तव्य हो जायेंगे ।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित उपबंधों के अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम के कोई अन्य उपबंध न्यासों पर लागू नहीं हैं । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बम्बई स्थित न्यासों की संख्या 57 है ।

(ग) इस विभाग के पास, न्यासों में नियोजन की बाबत कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यदि न्यास, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक के हिस्सों/ऋण-पत्रों में नियोजन करते हैं, तो उनके लिए केवल घोषणापत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

Supply of Bitumen to West Bengal

6609. SHRI M. ISMAIL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how much bitumen was supplied to West Bengal during the last year; and